

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	फरवरी 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8558	844	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1635	2	--	-
3	असम	4495	56	--	-
4	बिहार	6319	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4700	--	1	-
6	गोवा	615	309	--	-
7	गुजरात	5448	497	--	4550
8	हरियाणा	801	1243	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	3100
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	286	--	--	-
12	कर्नाटक	5633	--	--	-
13	केरल	2218	--	--	12000
14	मध्य प्रदेश	--	948	--	-
15	महाराष्ट्र	42512	651	--	-
16	मणिपुर	230	104	--	10000
17	मेघालय	749	43	9	-
18	मिजोरम	433	47	--	-
19	नगालैंड	1695	34	--	-
20	उड़ीसा	12007	1506	87	-
21	पुदुचेरी	303	--	--	16665
22	पंजाब	1137	--	8	806
23	राजस्थान	--	--	129	-
24	तमिलनाडु	6853	--	40	2000
25	तेलंगाना	5847	1272	--	19762
26	त्रिपुरा	385	9	--	-
27	उत्तराखंड	863	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3261	82	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9096	551	214	-
	कुल	126080	8199	667	68884

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं